



Ref: 70/2021

Dt- 03-02-2021

कुलपति,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय,
सबौर (भागलपुर)

विषय:— दिनांक 28.01.2021 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में आपके साथ विमर्श के क्रम में अनुपयोगी चौर में वैकल्पिक कृषि (मखान) की खेती कराने के संबंध में।

महाशय,

मेरे भागलपुर भ्रमण के दौरान दिनांक 28.01.2021 को आपसे विमर्श के क्रम में हजारों हेक्टेयर अनुपयोगी बने भूमि (चौर) में वैकल्पिक कृषि (मखान) की खेती कराने से संबंधित ध्यान आकृष्ट कराया था।

मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर के तीन प्रखंड — झंझारपुर, लखनौर, एवं मधेपुर (6 पंचायत) अवस्थित हजारों हेक्टेयर भूमि जलजमाव के कारण चौर के रूप में परिवर्तित होकर अनुपयोगी हुई हैं। यद्यपि बाढ़ प्रवन्न इस क्षेत्र की भूमि अत्यंत ही उर्वर एवं उपजाऊ हैं, परन्तु जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण किसानों के लिए यह अभिशाप बनकर रह गया है। विदित हो कि जल संसाधन विभाग के अभियंता के दल द्वारा अनेकों बार जल निकासी की संभावना फलीभूत नहीं हो सकी है। कृषि योग्य भूमि रहते हुए भी चौर में जल निकासी नहीं होने से भूमि रहते किसान भूमिहीन हो गये हैं एवं आमदनी में कमी होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चौरों के भूमि की उपयोगिता का एकमात्र वैकल्पिक उपाय हैं, चौरों में वैकल्पिक कृषि (मखान) की खेती वृहद पैमाने पर की जाए। यदि इन चौरों में मखान की खेती के लिए आवश्यक संसाधन एवं योजना कार्यान्वित कराया जाए तो यह क्षेत्र कृषि में एक अलग पहचान बना सकता है। मखान की खेती के लिए झंझारपुर अनुमंडल का यह क्षेत्र वृहद पैमाने पर किसानों को नया जीवन दे सकता है।

एक जिला एक उत्पाद के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के आलोक में झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न चौरों में वैकल्पिक कृषि (मखान) की खेती हेतु समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय,

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 3.2.21

(संलग्न:— यथोक्त!)